मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015-पौष 12, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में ''भगवान पलसावदिया'' था. परन्तु अब मुझे ''भगवानसिंह चौधरी '' के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में इस नाम से ही किया जावे.

पुराना नाम :

(भगवान पलसावदिया)

नया नाम :

(भगवानसिंह चौधरी)

ग्राम-रंगवासा, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.).

(510-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कोमल पुरसवानी ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर खुशबु मोटलानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावें.

पुराना नाम :

(कोमल पुरसवानी)

नया नाम :

(खुशबु मोटलानी)

पता-237, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(511-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम तोफीक एहमद खान लोदी था. परन्तु अब मेरा नाम तोफीक खान हो गया है. अत: अब मुझे सभी संदर्भ में नये नाम तोफीक खान से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(तोफीक एहमद खान लोदी)

नया नाम :

(तोफीक खान)

110, तांबे वाली चाल नगारची बाखल,

उज्जैन (म.प्र.).

(512-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भैया पिता राघोबा ठाकरे, निवासी-वार्ड नं. 14, सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा का हूँ. यह घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम भैया पिता राघोबा ठाकरे, मेरे खानदानी भूमि के दस्तावेज में है जो परिवर्तन कर नया नाम मारोती पिता राघोबा ठाकरे कर रहा हूँ. अतः आज दिनांक 14 सितम्बर, 2014 से मुझे मेरे नये नाम मारोती पिता राघोबा ठाकरे के नाम से जाना जावें.

पुराना नाम :

(भैया)

पिता राघोबा ठाकरे.

नया नाम :

(मारोती ठाकरे)

पिता राघोबा ठाकरे.

(522-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र पाल सिंह यह सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र प्रतीक सिंह के हाईस्कूल के सर्टिफिकेट कक्षा 10वीं (सन् 2013) में मेरा नाम त्रुटिवश से राजेन्द्र सिंह प्रिंट हो गया है जबकि मेरा सही नाम राजेन्द्र पाल सिंह है. मैं, अजमेर बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) से अनुरोध करता हूँ कि मेरे पुत्र प्रतीक सिंह के सर्टिफिकेट में मेरा सही नाम राजेन्द्र पाल सिंह कर मेरे पुत्र को नया सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र सिंह)

(RAJENDRA SINGH)

नया नाम :

(राजेन्द्र पाल सिंह)

(RAJENDRA PAL SINGH)

69, लक्ष्मी नगर भोंसले कॉलोनी, देवास (म.प्र.).

(523-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश कुमार लांगू आत्मज श्री द्वारकानाथ लांगू, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी म.नं. 30, भवानीधाम फेस-2, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल में निवास करता हूँ मैं वर्तमान में सतीश कुमार लांगू के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ व्यक्तिगत कारणों से अपना उपनाम बदल रहा हूँ. जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाशन दिनांक से अब मेरा नाम सतीश कुमार रैना हो गया है. इसके पश्चात् भविष्य में मुझे सतीश कुमार रैना के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :

(सतीश कुमार लांगू)

नया नाम :

(सतीश कुमार रैना)

आत्मज श्री द्वारकानाथ लांगू,
निवासी म.नं. 30, भवानीधाम फेस-2,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल मध्यप्रदेश.

(525-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का नाम कु. सारिका भदौरिया (KU. SARIKA BHADOURIA) पुत्री श्री आर. एस. भदौरिया (SHRI R. S. BHADOURIA) मेरे दस्तावेजी रिकार्ड में अंकित है. विवाह के बाद मुझ प्रकाशनकर्ता ने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमति सारिका कुशवाह (SMT. SARIKA KUSHWAH) पत्नी डॉ. महेश सिंह कुशवाह (DR MAHESH SINGH KUSHWAH) कर लिया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड तथा दस्तावेजों में करा, परिवर्तित नाम पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सारिका भदौरिया)

(SARIKA BHADOURIA)

पुत्री श्री आर. एस. भदौरिया

(SHRI R. S. BHADOURIA)

नया नाम :

(सारिका कुशवाह)

(SARIKA KUSHWAH)

पत्नी डॉ. महेश सिंह कुशवाह

(DR. MAHESH SINGH KUSHWAH)

(526-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-राम राजा प्रोपर्टीज सागर रोड शांति नगर कॉलोनी, एस. डी. एम. बी. एल. मिश्रा के सामने छतरपुर मध्यप्रदेश जो कि दिनांक 24 जनवरी, 2014 को गठित होकर पंजीयत हुई. जिसमें दीपक अग्रवाल, श्रीमती इंद्रा अग्रवाल, शीलचन्द्र राय, हरीश रतनानी, प्रकाश चौरसिया भागीदार थे. और दिनांक 19 जून, 2014 तक चली. इसके पश्चात् दिनांक 20 जून, 2014 से लेकर आज दिनांक तक नई संशोधित फर्म में निम्नलिखित दीपक अग्रवाल, श्रीमती इंद्रा अग्रवाल, प्रकाश चौरसिया भागीदार हैं.

मे. राम राजा प्रापर्टीज,
प्रकाश चौरसिया,
(भागीदार).

(513-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लक्ष्य इंजीनियर्स एण्ड एसोसिएट्स जो कि एक भागीदारी फर्म है, जो कि दिनांक 26 फरवरी, 2009 को निर्मित की गई थी, जिसमें श्री अविनाश जैन, इंद्रा जैन तथा श्री एस. पी. मिश्रा भागीदार थे, में से श्री एस. पी. मिश्रा द्वारा अपनी भागीदारी उक्त फर्म में से समाप्त कर ली गई है तथा संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 30 नवम्बर, 2010 के अनुसार वर्तमान में लक्ष्य इंजीनियर्स एण्ड एसोसिएट्स ने मात्र दो भागीदार क्रमशः श्री अविनाश जैन तथा इंद्रा जैन शेष हैं. इसी प्रकार उक्त लक्ष्य इंजीनियर्स एण्ड एसोसिएट्स फर्म का पूर्व पता 184-ए, इंद्रपुरी भोपाल अंकित था. जिसके स्थान पर उक्त फर्म का नवीन पता 16-ए एफ-4, अमर स्तंभ जोन-1, प्रेस काम्पलेक्स एम. पी. नगर, भोपाल हो गया है. कृपया सूचित हो.

आकाश तैलंग,
अधिवक्ता,
48, आकाश नगर, कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल (म.प्र.).

(514-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि टेक्नोक्राफट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक भागीदारी फर्म थी, जो कि दिनांक 15 जनवरी, 2008 को निर्मित की गई थी, जिसमें श्री अविनाश जैन, इंद्रा जैन तथा श्री एस. पी. मिश्रा भागीदार थे, का दिनांक 12 नवम्बर, 2011 को विघटन कर दिया गया था, जिस कारण से उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों की भागीदारी समाप्त हो गई थी. जिसके पश्चात् टेक्नोक्राफट इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र श्री अविनाश जैन की प्रोपराईटरशिप फर्म के रूप में कार्यरत हैं. जिसका पता 16-ए एफ-4, अमर स्तंभ जोन-1, प्रेस काम्पलेक्स एम. पी. नगर, भोपाल है. कृपया सूचित हो.

आकाश तैलंग,
अधिवक्ता,
48, आकाश नगर, कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल (म.प्र.).

(515-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म ''मेसर्स सुहाने आइल्स'' का विघटन दिनांक 31 मार्च, 2013 को हो गया है तथा यह फर्म भंग होकर समाप्त हो गई है जिसके निम्नलिखित भागीदार थे-

1. श्री सुरेन्द्र सुहाने आत्मज स्व. श्री गोकल प्रसाद सुहाने नि. रविशंकर, वार्ड सागर मध्यप्रदेश.
   हाल मुकाम-श्रीकृष्ण नगर मकरोनिया, सागर मध्यप्रदेश.
2. श्रीमती रागिनी सुहाने पत्नी श्री सुरेन्द्र सुहाने नि. रविशंकर, वार्ड सागर मध्यप्रदेश.
   हाल मुकाम-श्रीकृष्ण नगर मकरोनिया, सागर मध्यप्रदेश.
3. श्री आशीष सुहाने आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद सुहाने, निवासी-शक्ति नगर, मकरोनिया सागर (म.प्र.).

द्वारा-
अनिल चौदा,
(एडवोकेट)
वर्णी कॉलोनी, सागर (म.प्र.).

(516-बी.)

NOTICE

Notice is hereby given that the firm "M/s INDICON REALTORS" of Gwalior vides Reg No. 02/42/01/00024/13, year 2013-14, Date of Registration-03/05/2013, has undergone the change of its registered office address.

The Present Address J-47, Gandhi Nagar, Gwalior has been changed to New Address, 204, Global Apartment, Near Income Tax Office, City Centre, Gwalior-474003.

Deepak Kumar Singhal,
(Partner)
M/s INDICON REALTORS,
204, Global Apartment, Near Income Tax Office,
City Centre, Gwalior-474003.

(517-B.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री विनायक फूड एण्ड ब्रेवर्स स्थित-438/3, हथियापुरा की पुलिया, सागर ताल रोड,

जगनापुरा, ग्वालियर (म.प्र.) में दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 से भागीदार श्री जीतू तोमर पुत्र श्री शंकर सिंह, निवासी 53, फोर्ट रोड, अनाज मण्डी, पच्चीपाड़ा, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से नवीन साझेदार के रूप में श्रीमती प्रीति परिहार पत्नि श्री कुलदीप सिंह परिहार, निवासी 51, रानीपुरा, चारशहर का नाका, हजीरा, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—श्री विनायक फूड एण्ड ब्रेवर्स,
कुलदीप सिंह परिहार,
438/3, हथियापुरा की पुलिया, सागरताल रोड,
जगनापुरा, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—सतीश अग्रवाल
(एडवोकेट)
हॉस्पीटल रोड, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(518-बी.)

सर्व-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स प्रशांत अग्रवाल इटारसी के नाम से ठेकेदारी का व्यवसाय, दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से कर रही है. यह फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-58 (1) के अंतर्गत फर्मस एण्ड सोसायटी के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/07/03/00088/07, सन् 2007-2008 है. फर्म में बजरंग लाल अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, शकुनतला अग्रवाल भागीदार हैं. दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से श्रीमति प्रीति अग्रवाल एवम् श्रीमति प्रियंका अग्रवाल भागीदारी फर्म में सम्मलित हो गई हैं.

सर्व साधारणार्थ को सूचनार्थ.

फर्म—प्रशांत अग्रवाल इटारसी,
बजरंग लाल अग्रवाल,
लक्कड़गंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म. प्र.).
द्वारा—हेमंत सिरसट
(कर सलाहकार)
सौगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार लश्कर,
ग्वालियर (म. प्र.).

(519-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार (1) फखरूद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन कांचवाला, निवासी 22, छत्री चौक बाजार, उज्जैन (2) फातेबाबाई पति तैय्यब अली कांचवाला, निवासी 14, छत्री चौक बाजार, उज्जैन (3) हैदर अली आत्मज नजर हुसैन कांचवाला, निवासी छोटा तेलीवाड़ा, कमरी मार्ग, उज्जैन (4) इस्माईल आत्मज अब्देअली कांचवाला, निवासी 14/1, छत्री चौक बाजार, उज्जैन की एक भागीदारी फर्म शंकर आईस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज बड़ा तेलीवाड़ा बुधवारिया उज्जैन थी एवं उनके द्वारा उक्त भागीदारी फर्म उक्त भागीदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को समाप्त कर दी है एवं इसके सम्बन्ध में विधिवत भागीदारी समाप्ति लेख का निष्पादन भी कर दिया गया है. इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एण्ड सोसायटीज में विधिवत सूचना दी गई है.

अखिलेश बाफना,
(एडवोकेट)
5, रामचन्द्र सेठ की गली, छोटा सराफा,
उज्जैन (म. प्र.)

(520-बी.)

NOTICE

Notification U/s 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is notifying that: The following changes have taken place, in the constitution of the firm M/s Sawytech Engineering Services, Indore (Firm Regn. No. 03/27/03/00003/07 of 2007-08).

1. Shri Sawyasachi Mishra has ceased to be partner w.e.f. 1/11/2014.

2.Smt. Krishna Mishra W/o Sawyasachi Mishra has Joined as a Partner w.e.f. 1/11/2014.

Constitution of the firm stands altered accordingly (For Sawytech Engineering Services Indore) Anurodh Mishra & Smt. Krishna Mishra Partners of newly constituted firm Yours Sincerely.

For Sawytech Engineering Services,

Anurodh Mishra,
Continuing,
(Partner)

(521-B.)

जाहिर सूचना

(इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा-32 (3) के अंतर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्यूरिटीज एण्ड सर्विसेज (पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00066/09, वर्ष 08-09), जिसका कार्यालय 30, नागझिरी देवास रोड, उज्जैन है, के भागीदारों में से एक भागीदार श्रीमती विभा पत्नि उपेन्द्र चौधरी, दिनांक 08 फरवरी, 2014 से फर्म से निवृत्त हो चुकी है.

अब दिनांक 08 फरवरी, 2014 के पश्चात् फर्म मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्यूरिटीज एण्ड सर्विसेस 30, नागझिरी देवास रोड, उज्जैन के व्यापार लेनदारी और देनदारी के प्रति श्रीमति विभा पत्नि उपेन्द्र चौधरी का कोई अधिकार व दायित्व शेष नहीं बचा है. इति दिनांक 14 नवम्बर, 2014.

फर्म-मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्यूरिटीज एण्ड सर्विसेस,

1. सतीश सिंह पिता सबदल सिंह कुशवाह
2. हेमलता सांखला पत्नी राजेश सांखला,
(वर्तमान भागीदार).

(524-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, थांदला

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक कांतिलाल वागरेचा खवासा, जिला झाबुआ, म. प्र.

''श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्रसूरि जयंतसेन जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट खवासा'' को सार्वजनिक लोकन्यास के रूप में पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन-पत्र 4-5 धारा मध्यप्रदेश/ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि जिसकी सुनवाई दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को उपखण्ड न्यायालय थांदला पर समय प्रातः 11.00 बजे कि जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रूचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवे.

निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पुरा नाम	. .	श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्रसूरि, जयंतसेन जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट, खवासा.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.
चल सम्पत्ति	. .	रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार मात्र) जो बैंक खाते में जमा है.

राधेश्याम मण्डलोई,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(984)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना

प्रकरण क्र. 3 बी-113/13-14.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर बजरंगगढ़ पब्लिक ट्रस्ट, पोस्ट बजरंगगढ़, तहसील एवं जिला गुना द्वारा अध्यक्ष—एवं सचिव श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ की ओर से एक आवेदन

प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक 14-बी 113/1966-67 के अधीन दिनांक 1 मई, 1968 से पंजीयत है. उक्त शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ पब्लिक ट्रस्ट ने कोई नये नियम नहीं बनाये है और न ही पुराने विधान के साथ छेड़छाड़ किया है. पुराने विधान में ही संशोधित विधान समाविष्ट होना है. अतः पूर्व विधान में नवीन संशोधन/परिवर्तन समाविष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है. उस अनुसार रिकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति है तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

टी. एन. सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(986)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय झाबुआ

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि झाबुआ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए निम्नलिखित अतिरिक्त ग्रामों के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार कर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु दिनांक 02 जनवरी, 2015 को कार्यालय नगर पालिका परिषद, झाबुआ के सभाकक्ष में प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति,

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर,
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ

के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं.

ग्रामों की सूची:- (1)मिण्डल (2)रतनपुरा (3) बाडकुँआ

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से सम्बन्धित हो तो उसे कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय परिसर झाबुआ अथवा प्रकाशन स्थल (नगर पालिका झाबुआ) पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक रूप से प्रस्तुत करें.

कविता नागर,
सहायक संचालक.

(985)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/Q.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ दिनांक ..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	अनास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाट्याबयड़ी, जिला झाबुआ	1062/08-09-2010	213-37/18-03-14
2.	मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., उदयपूरिया तह. थांदला, जिला झाबुआ	966/09-01-2001	451-5/25-08-14

अतः मैं, एम. एस. चौहान, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण

के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(969)

झाबुआ, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/Q.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ दिनांक ..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोलाबड़ी	1057/01-09-2010	213-38/18-03-14
2.	मीराजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कजांवानी, जिला झाबुआ	1056/01-09-2010	213-39/18-03-14

अत: मैं, एम. एस. चौहान, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

एम. एस. चौहान,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(969-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 03 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/Q.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/213-27-28, झाबुआ दिनांक 18 मार्च, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आशापुरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, झायड़ा	1065/12-10-2010	213-37/18-03-14
2.	टिड़ाई माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नागंनवार	1046/13-10-2009	213-28/18-03-14

अत: मैं, संजय सोलंकी, परिसमापक सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र

के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

संजय सोलंकी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(970))

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

लक्ष्मी सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 01 नवम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं हैं.

अत: मैं, बबूल सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नही रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(971)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 01 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/Q.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ दिनांक ..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया	914/27-12-1995	75/10-05-13
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा	938/29-03-1997	567/02-12-13

अत: मैं, जी. एस. गुण्डिया, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

जी. एस. गुण्डिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(977)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला मुरैना

दिनांक 5 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1959.—यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)
1.	श्रमिक कल्याण सह. संस्था मर्या., सब्जी मण्डी, मुरैना	891/04-07-1986
2.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., नूराबाद	571/27-12-1989
3.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था मर्या., बामौर	256/28-03-1985
4.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था मर्या., दीखतपुरा	762/20-05-1982
5.	आयरन एण्ड स्टील सह. संस्था मर्या., मुरैना	1139/16-06-1999

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था की लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

अशोक यादव,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(972)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 24 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

परिसमापित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, किशनगढ़, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश के परिसमापक श्री ए. एस. राठौर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों ने दिनांक 22 सितम्बर, 2014 को विशेष आम सभा आयोजित कर सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया है. परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ सोसायटी की विशेष वार्षिक आमसभा दिनांक 22 सितम्बर, 2014 का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है. सोसायटी की आमसभा के द्वारा पारित ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि संस्था के सदस्यों के विकास कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, किशनगढ़, जिला रतलाम का परिसमापन समाप्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु निम्नानुसार तदर्थ कमेटी तीन माह के लिए नियुक्त की जाती है.

1.	श्री शंकरलाल पिता बापूलाल	-	अध्यक्ष
2.	श्री महिपाल सिंह	-	सदस्य
3.	श्री सरदार सिंह	-	सदस्य
4.	श्री तोफान सिंह	-	सदस्य
5.	श्री शंकर सिंह	-	सदस्य

उपर्युक्तानुसार नियुक्त तदर्थ कमेटी इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, खण्ड-ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव-ठहराव एवं चाह माह के पूर्व की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी जाये.

यह आदेश आज दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(973)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 1 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/822.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/943, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 के द्वारा मुझे ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था मर्या., मुलताई का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं सम्पत उइके, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सम्पत उइके,
परिसमापक.

(974)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह

दमोह, दिनांक 5 नवम्बर, 2014

श्री ए. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जबेरा को निम्नांकित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया था, श्री ए. के. जैन का निधन हो जाने के फलस्वरूप श्री जैन के स्थान पर श्री हाकिम अहिरवार, प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, जबेरा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है, जो निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	आदेश क्रमांक व दिनांक (3)
1.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिंग्रामपुर	1945/23-10-1982
2.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कलेहराखेड़ा	32/03-01-1995
3.	शिवशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चौपराखुर्द	1255/29-12-2009
4.	खनिज कामगार सहकारी समिति मर्यादित, पाड़ाझिर	1259/29-12-2009
5.	खनिज कामगार सहकारी समिति मर्यादित, नांगमणि तेंदूखेड़ा	1261/29-12-2009
6.	मछली उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रजवांस	1257/29-07-2006
7.	मछुआ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जबेरा	1258/29-07-2006
8.	मछली उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हिनौतीखेतसिंह	1259/29-07-2006
9.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, मालाबम्होरी	—
10.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, पटनाखुर्द	2284/24-11-1995
11.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, माड़नखेड़ा	—
12.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, तेंदूखेड़ा	1266/29-07-2006

यह आदेश आज दिनांक 05 नवम्बर, 2014 से तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

आर. पी. मिश्रा,
सहायक आयुक्त (सहकारिता).

(975)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तिव आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	श्री राम कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सुलगांव.	महेश्वर	1066/01-01-1997	1764/23-09-2005	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
2.	माँ उमिया कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सुलगांव.	महेश्वर	1085/21-01-1997	935/22-06-2006	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(976)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तिव आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमलाथा	बडवाह	1473/13-01-2006	179/01-02-2014	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुडगांव	बडवाह	1320/26-03-2002	1321/07-10-2013	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरी.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भ्या	बडवाह	1322/26-03-2002	179/01-02-2014	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(976-A)

संशोधित आदेश

प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 05 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 06 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:-

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	विवेकानंद प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडवाह.	2177/29-06-1995	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
2.	नर्मदा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., सनावद.	544/03-02-1996	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
3.	उन्नत कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद.	655/19-02-1983	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
4.	उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., रतनपुर.	2545/07-10-1998	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
5.	कृषक भारती फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., डाल्याखेडी.	1303/27-09-2001	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
6.	माँ मैकाल खनिज सहकारी समिति मर्या., कटघडा.	2152/28-10-2005	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्दनपुरा (बडवाह).	286/02-04-1986	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक.
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरलाय.	373/01-02-2001	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपाला.	3773/31-10-1995	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलवाडा.	641/08-02-2006	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेल्दा (बडवाह).	477/28-02-2002	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया.	308/06-02-2002	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
13.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी संस्था मर्या., कोदवार.	2311/06-08-1981	804/02-07-2003	श्री एस. आर. कोचले, व.स.नि.	श्री मनोहर वास्केल, स.वि.अधि.
14.	सर्वोदय मुद्रणालय एवं बाईंडिंग उद्योग सहकारिता मर्या., खरगोन.	1388/06-11-2009	1388/06-11-2009	श्री आर. एस. ठाकुर, उप-अंकेक्षक.	श्री आशीष सेठिया, उप-अंकेक्षक.
15.	माँ रेवा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर.	525/04-04-2014	525/04-04-2014	श्री आर. एस. ठाकुर, उप-अंकेक्षक.	श्री आशीष सेठिया, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(976-B)

खरगोन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/507.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित है एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तिव आज दिनांक 29 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	गुरूजी साख सहकारिता मर्या., पिपलगोन	कसरावद	99/14-03-2006 एवं संशोधित पंजी. क्र. 1801/10-03-2014.	1737/28-12-2010	श्री के. एन. पांड, वरि. सह. निरी.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकांवा	बड़वाह	1313/15-01-2002	1335/07-10-2013	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
3.	आदि. शक्ति साख सहकारिता मर्या., खरगोन	खरगोन	33/29-10-2003 एवं संशोधित पंजी. क्र. 1736/10-03-2014.	150/10-02-2009	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरी.
4.	ऊँ सांई बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., बालसमुंद.	कसरावद	175/27-01-2009 एवं संशोधित पंजी. क्र. 1876/10-03-2014.	1738/28-12-2010	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अधिकारी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(976-D)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (ए/क) (1), (2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/3757.—यह कि पद्मालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर./667, दिनांक 01 मार्च, 1997 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. प्रभारी अधिकारी श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2014 से अवगत कराया कि संस्था में मात्र 20 सदस्य शेष हैं एवं कोई भूमि भू-खण्ड शेष नहीं है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 09 अगस्त, 2009 में संस्था का पंजीयन निरस्ती हेतु निर्णय लिया गया. जिसके तारतम्य पत्र क्रमांक 2926, दिनांक 27 अगस्त, 2014 से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र पंजीयन निरस्ती हेतु जारी किया गया जिसका उत्तर प्राप्त हुआ जिस अनुसार संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्र./डी. आर./आय.डी.आर./667, दिनांक 01 मार्च, 1997 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (2) के अन्तर्गत श्री एस. एन. खण्डेलवाल, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्ति कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(978)

इन्दौर, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (ए/क) (1), (2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/3758.—यह कि सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर./666, दिनांक 27 मार्च, 1997 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. प्रभारी अधिकारी श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2014 से अवगत कराया कि संस्था में मात्र 20 सदस्य शेष हैं एवं कोई भूमि भू-खण्ड शेष नहीं है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 02 अगस्त, 2009 में संस्था का पंजीयन निरस्ती हेतु निर्णय लिया गया जिसके तारतम्य पत्र क्रमांक 2925, दिनांक 27 अगस्त, 2014 से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र पंजीयन निरस्ती हेतु जारी किया गया जिसका उत्तर प्राप्त हुआ जिस अनुसार संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्र./डी. आर./आय.डी.आर./666, दिनांक 27 मार्च, 1997 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (2) के अन्तर्गत श्री एस. एन. खण्डेलवाल, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्ति कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त (सहकारिता).

(978-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

क्र./परि./2013-14/1348.—कार्यालयीन आदेश-पत्र क्रमांक/उरन/परिसमापन/795, दिनांक 24 जुलाई, 2007 एवं आदेश क्रमांक 900, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 नरसिंहपुर के द्वारा प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा पं. क्र. 304, दिनांक 09 नवम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ए. के. चौधरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि

का निबटारा हो जाने के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न बैलेंस शीट शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् प्राथमिक तिलहन सहकारी समिति मर्या., खमतरा, पं.क्र. 304, दिनांक 09 नवम्बर, 1987, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(979)

नरसिंहपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

क्र./परि./2013-14/1349.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परिसमापन/1002, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 एवं आदेश क्रमांक 900, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 नरसिंहपुर के द्वारा प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार, पं. क्र. 377, दिनांक 20 नवम्बर, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ए. के. चौधरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निबटारा हो जाने के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न बैलेंस शीट शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् प्राथमिक तिलहन सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार, पं.क्र. 377, दिनांक 20 नवम्बर, 1989, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(979-A)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी

डिण्डोरी, दिनांक 27 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 क (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपंडि/2014/832.—मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी, पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 22 जुलाई, 2000, विकासखण्ड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./370, दिनांक 08 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 नवम्बर, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(980)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बटवार, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बटवार पंजीयन क्रमांक 11025, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हर्राभाट, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हर्राभाट, पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लपटी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लपटी, पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौरंगा, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौरंगा पंजीयन क्रमांक 1128, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भपसा, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भपसा, पंजीयन क्रमांक 1129, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरवाडा, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरवाडा पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया..

(981-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिलरी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिलरी पंजीयन क्रमांक 1131, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पौंडी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पौंडी पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोको, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोको पंजीयन क्रमांक 1133, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, काताजर, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, काताजर पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धरमपुरी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धरमपुरी पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डुगरिया, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डुगरिया पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खमरौटी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खमरौटी पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खटौला, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खटौला पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1598/मण्डला, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पडरिया, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पडरिया पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा आदिवासी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टिकरिया विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टिकरिया पंजीयन क्रमांक 823, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा आदिवासी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, निवास, विकासखण्ड निवास की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, निवास पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. पी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड निवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा नर्मदा बारदाना उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा बारदाना उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 14 मई, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा सदगुरू कबीर अनु. ज. जा. सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सदगुरू कबीर अनु. ज. जा. सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला पंजीयन क्रमांक 778, दिनांक 29 मार्च, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-S)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा न्यायीक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत न्यायीक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 8 मार्च, 2000 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-T)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खलौडी, विकासखण्ड मवई की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खलौडी पंजीयन क्रमांक 819, दिनांक 22 अप्रैल, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-U)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा रानी दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रानी दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-V)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरई, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरई पंजीयन क्रमांक 770, दिनांक 12 मई, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-W)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा मातृ भूमि महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मातृ भूमि महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर पंजीयन क्रमांक 782, दिनांक 18 जुलाई, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-X)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 22 अप्रैल, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-Y)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगधा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,मगधा पंजीयन क्रमांक 825, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(981-Z)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बीजाडांडी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बीजाडांडी पंजीयन क्रमांक 795, दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(982)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1374/मण्डला, दिनांक 2 जून, 2014 के द्वारा आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मटियारी, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मटियारी पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 29 जून, 1994 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(982-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/2120/मण्डला, दिनांक 5 सितम्बर, 2014 के द्वारा सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला पंजीयन क्रमांक 1365, दिनांक 1मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति संध्या जाधव सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(982-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1978/मण्डला, दिनांक 21 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चन्दवारा, विकासखण्ड मवई की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चन्दवारा पंजीयन क्रमांक 1053, दिनांक 1 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(982-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015-पौष 12, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, मुरैना (मुरैना), ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), गुना, बमोरी (गुना), लवकुशनगर, राजनगर (छतरपुर), गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), मालथोन (सागर), रघुराजनगर, नागौद, अमरपाटन (सतना), सिरमोर, हजूर (रीवा), ब्यौहारी (शहडोल) गोपदवनास, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर (मंदसौर), शुजालपुर (शाजापुर), थांदला, पेटलावद, झाबुआ (झाबुआ), बैरसिया (भोपाल), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बरही (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), सेंवढ़ा (दतिया), मुँगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), राघोगढ़ (गुना), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), बण्डा (सागर), मझगवां, उचेहरा, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), मऊगंज, गुढ़ (रीवा), जैसिंहनगर, बुढार (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझोली, कुसमी (सीधी), मो. बडोदिया, कालापीपल (शाजापुर), जोवट (अलीराजपुर), पाटी (बड़वानी), सीहोरा, मझोली (जबलपुर), ढीमरखेड़ा, बड़वारा (कटनी), घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), लाँजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जौरा, कैलारस (मुरैना), भितरवार (ग्वालियर), खनियाधाना, कोलारस (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), आरोन, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), बिजावर, बकस्वाहा (छतरपुर), खुरई, रहली, गढ़कोटा (सागर), रायपुरकर्चुलियान (रीवा), जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), गरोठ, श्यामगढ़ (मंदसौर), महिदपुर (उज्जैन), अलीराजपुर, सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), गंधवानी (धार), बड़वानी (बड़वानी), लटेरी, बासौदा, गुलाबगंज, नटेरन (विदिशा), कुन्डम (जबलपुर), बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), बड़ामलहरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई (पन्ना), बीना, सागर, देवरी, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), त्योंथर, हनुमान (रीवा), सोहागपुर, शहडोल, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सुबासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), खाचरोद, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), कट्टीवाड़ा, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), सिरोंज, कुरवाई, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही,

घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर (जबलपुर), निवास, विछिया, नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेडा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखानदौन, बरघाट, कुरई, घन्सौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ङ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील धरमपुरी (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, बड़वानी, सिवनी में जुताई एवं धान की रोपाई कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर में खरीफ फसल रामतिल व श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, शहडोल, खरगौन में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	0.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	55.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	14.0				
4. जौरा	45.0				
5. सबलगढ़	56.0				
6. कैलारस	35.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	71.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	63.5		उड़द, मूँग सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	63.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	6.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	24.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	37.4				
4. घाटीगांव	10.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	28.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	74.0		मूँगफली, सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	65.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	90.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	80.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	50.0				
4. नरवर	116.0				
5. करैरा	54.0				
6. कोलारस	40.0				
7. पोहरी	89.0				
8. बदरवास	74.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	32.0		4. (1) उड़द, सोयाबीन, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	38.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	20.0				
4. चन्देरी	75.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	9.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	18.0		(2) . .	. .	
3. बमोरी	10.0				
4. आरोन	41.0				
5. चाचौड़ा	46.0				
6. कुम्भराज	47.0				
***जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	7.0		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	24.0				
4. छतरपुर	32.0				
5. राजनगर	15.0				
6. बिजावर	40.0				
7. बड़ामलहरा	74.2				
8. बकस्वाहा	36.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	128.2		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	64.7		मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	6.4		तिल कम.		
4. पवई	66.0		(2) . .		
5. शाहनगर	7.6				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	61.1		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	36.7		उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	34.2		सोयाबीन कम.		
4. सागर	93.9		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
5. रेहली	41.1				
6. देवरी	64.0				
7. गढ़ाकोटा	37.8				
8. राहतगढ़	56.4				
9. केसली	126.1				
10. मालथोन	17.4				
11. शाहगढ़	57.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग, मक्का, धान, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	8.4		4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक. धान, सोयाबीन कम. कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	20.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	12.0				
5. उचेहरा	25.0				
6. अमरपाटन	2.0				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	20.0				
9. बिरसिंहपुर	30.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	55.0		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग, उड़द, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	14.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	23.8				
4. हनुमना	70.0				
5. हजूर	17.4				
6. गुढ़	23.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	35.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	72.0		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	29.0				
4. बुढार	29.8				
5. जैतपुर	36.0				
6. गोहपारू	50.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रामतिल की बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	27.4		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी, रामतिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	63.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	78.2				
4. पुष्पराजगढ़	54.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	33.3		4. (1) धान, तुअर, तिल, सोयाबीन कम. मक्का, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	24.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	10.4		4. (1) तिल, तुअर कम. मक्का, धान, मूँग, उड़द, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	19.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	18.8				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	14.2				
6. रामपुरनैकिन	13.1				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	73.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद. . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	95.2		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	103.0				
4. गरोठ	47.1				
5. मन्दसौर	12.9				
6. श्यामगढ़	52.4				
7. सीतामऊ	152.2				
8. धुन्धड़का	199.0				
9. संजीत	60.0				
10.कयामपुर	64.6				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन,मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	90.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	114.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	96.0				
4. बाजना	184.0				
5. पिपलौदा	124.0				
6. रतलाम	151.2				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	126.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	51.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	225.0				
4. घटिया	65.0				
5. उज्जैन	109.0				
6. बड़नगर	113.8				
7. नागदा	123.0				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	20.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	55.0		(2) . .		
3. शुजालपुर	10.0				
4. कालापीपल	24.0				
5. गुलाना	80.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	4.6		4. (1) मक्का अधिक. धान, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	4.6				
4. झाबुआ	2.2				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	30.0		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	38.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	223.0				
4. सोण्डवा	47.2				
5. उदयगढ़	49.2				
6. च.शे. आ. नगर	79.6				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	70.8		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	90.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	109.4				
4. कुक्षी	60.9				
5. मनावर	137.0				
6. धरमपुरी	315.0				
7. गंधवानी	46.0				
8. डही	63.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	50.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	162.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	86.0				
4. सेंधवा	148.0				
5. पानसेमल	68.0				
6. पाटी	27.0				
7. निवाली	74.0				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	65.0		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	96.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	89.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	37.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	88.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	74.0				
4. बासौदा	36.4				
5. नटेरन	47.0				
6. विदिशा	103.2				
7. गुलाबगंज	48.0				
8. ग्यारसपुर	61.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	2.2		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	94.3		तुअर, मूँग, मूँगफली, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	157.2		4. (1) धान अधिक. ज्वार कम. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	104.0		कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	58.0		सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना		
4. गौहरगंज	148.0		समान.		
5. बरेली	86.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. सिलवानी	142.0				
7. बाड़ी	104.0				
8. उदयपुरा	197.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	67.5		4. (1) सोयाबीन, मक्का कम. धान समान.	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	164.3		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. शाहपुर	87.6				
4. चिचोली	127.5				
5. बैतूल	66.5				
6. मुलताई	133.0				
7. आठनेर	126.7				
8. आमला	68.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	102.6		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, उड़द, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	108.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	80.0				
4. इटारसी	112.6				
5. सोहागपुर	130.0				
6. पिपरिया	121.2				
7. वनखेड़ी	105.2				
8. पचमढ़ी	146.8				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	32.8		4. (1) मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	89.2		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	66.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझौली	31.5				
5. कुण्डम	43.4				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	4.9		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	8.0		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	12.0				
5. ढीमरखेड़ा	25.0				
6. बड़वारा	32.0				
7. बरही	17.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	75.7		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	74.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	139.2				
4. मण्डला	81.2				
5. घुघरी	31.7				
6. नारायणगंज	107.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	28.2		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. बजाग	39.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	35.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	63.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	96.6		(2) . .	. .	
3. परासिया	88.4				
4. जामई (तामिया)	91.3				
5. सोंसर	106.6				
6. पांढुर्णा	97.6				
7. अमरवाड़ा	102.4				
8. चौरई	163.6				
9. बिछुआ	103.5				
10. हर्रई	89.5				
11. मोहखेड़ा	193.0				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	80.8		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगमोठ, मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	61.0				
3. लखनादौन	70.0				
4. बरघाट	59.1				
5. कुरई	88.0		(2) . .		
6. घंसौर	74.0				
7. घनोरा	150.5				
8. छपारा	85.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	87.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	23.4		(2) . .		
3. बैहर	82.0				
4. वारासिवनी	117.8				
5. कटंगी	85.3				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, टीकमगढ़, सिंगरौली, देवास, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(983)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.